न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
07/2019	दावा 53 RTA	03.09.2019	24.09.2019

अन्तरसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी सैनिक बस्ती, चूरू

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू
2. गिरधारी पुत्र पूर्णाराम जाति माली निवासी चूरू
3. नारायण पुत्र पूर्णाराम जाति माली निवासी चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री गोपीराम सिहाग वादी
2. अधिवक्ता श्री पवनसिंह शेखावत व श्री योगेश शर्मा प्रतिवादी सं. 2, 3

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2175/1778 तादादी 1.4290 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2879/2743 तादादी 0.7588 हैक्टेयर रोही मौजा कस्बा चूरू के संयुक्त खातेदार काबिज काश्तकार है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड के उक्त कृषि भूमि में वादी का 1075/10939 हिस्सा है, यही वादगत भूमि है, वादी द्वारा वादगत कृषि भूमि में अपना हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 09.07.2007 के खरीद किया हुआ है। यह है कि वादगत कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की भूमि होने से हर समय सींवों को लेकर के.सी.सी. वगैरा बनवाने को लेकर विवाद रहता है तथा आये दिन झगड़ा होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह वादगत कृषि भूमि में मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता अलग करवाये व विधिवत् विभाजन करवाये, इसलिए यह दावा वादी पेश किया जा रहा है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार मिला व उनसे कहा व दूसरों से भी कहलवाया गया कि वह वादी के साथ चलकर वादगत कृषि भूमि का मुताबिक राजस्व रिकार्ड के खाता विभाजन कायम करवाये। मगर पहले तो प्रतिवादीगण हां हूं करते रहे। आखिर में दिनांक 14.08.20019 को ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। वादी वादगत कृषि भूमि का संयुक्त खातेदार काबिज काश्तकार है, इसलिए इस दावा के प्रति वादी को कानूनन आधार प्राप्त है, प्रतिवादीगण द्वारा की गई स्पष्ट इन्कारी की तिथि से इस दावा के प्रति वादी को कारण वाद के प्राप्त है। यह कि वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 01 के पावर व पजेसन में है — दावा वादी डिक्री होने पर मुताबिक डिक्री के राजस्व रिकार्ड में कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा की जानी है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को पक्षकार वाद बतौर प्रतिवादी बनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

है, चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कोई नुकसानप्रद अनुतोष नहीं चाहा गया है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिए बिना दावा वादी पेश किया जा रहा है। यह कि वादगत कृषि भूमि श्रीमानजी के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इस कृषि भूमि बाबत पेश इस दावा के प्रति श्रीमानजी को हर प्रकार के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दावा वादी उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा वादी पेशकर अर्ज है कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) कृषि भूमि खसरा नम्बर 2175/778 तादादी 1.4290 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2879/2743 तादादी 0.7588 हैक्टेयर रोही मौजा कस्बा चूरू में मुताबिक राजस्व रिकार्ड के 1075/10939 हिस्सा की भूमि का वादी के कब्जा काश्त के अनुसार व रजिस्टर्ड बैनामा के अनुसार खाता विभाजन कर अलग खाता राजस्व रिकार्ड में कायम किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगणों से दिलवाया जावे।

(ग) यह कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने सुनवाई वाद कायम हो जावे वो भी प्रदान किये/करवाये जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से श्री योगेश शर्मा एडवोकेट ने हिदायत पैरवी का अंकन किया व वकालतनामा व जवाबदावा हेतु समय चाहा। आगामी तारीख पेशी पर प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से श्री पवनसिंह शेखावत एवं योगेश शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर निवेदन किया कि हम जवाबदावा पेश नहीं करना चाहते, कबजा काश्त के आधार पर प्रतिवादी सं. 2 व 3 का भी खाता विभाजन कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। वकील वादी ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि वादी का दावा मात्र खाता विभाजन का है तथा वादी व प्रतिवादीगण वादगत कृषि भूमि में अपने–अपने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाने में सहमत हैं। इसलिए दावा पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भूमि है जिसका बाहमी तौर से विभाजन हो चुका है एवं उसी अनुसार मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण काश्त करते हैं। दावा में किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन कर अलग अलग खाते व लगान कायम किया जावे एवं दावा में प्रारम्भिक डिक्री फरमाई जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के खाता विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार चूरू से मंगवाये जावें।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेज जमाबन्दी व छाया प्रति बैनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया। जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 ग्राम चूरू के खसरा नं. 2175/778, 2879/2743 तादादी क्रमशः 1.4290, 0.7588 कुल 2.1878

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

हैक्टेयर में वर्तमान में अन्तरसिंह पुत्र मोहरसिंह 1075/10939 हिस्सा, गिरधारी पुत्र पूर्णाराम 6576/10939 हिस्सा एवं नारायण पुत्र पूर्णाराम 3288/10939 हिस्सा खातेदारी में अंकित है। बैनामा दिनांक 09.07.2007 का अवलोकन किया गया जो वादगत कृषि भूमि के खातेदार नारायण व गिरधारी पुत्र पूर्णाराम जाति माली निवासी चूरू द्वारा जरिये मुख्त्यारआम रणजीतसिंह थौरी पुत्र घड़सीराम थौरी जाति जाट निवासी रामसीसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर ने ख.नं. 1236 तादादी 18.02 बीघा में से सड़क में गई 3.02 बीघा भूमि को छोड़कर शेष बची 15 बीघा में से 1 बीघा भूमि सड़क के मध्य से 75 फीट छोड़कर चूरू–राजगढ रोड़ पर अन्तरसिंह पुत्र मोहरसिंह को 65000/– रूपयों में विक्रय कर कब्जा मौके पर सम्भला दिया जाना अंकित है। वादी ने दावा में अपने खातेदारी हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहा है। प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने दावा का जवाब ना देकर अपने–अपने खातेदारी के हिस्से की भूमि का भी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं होने का अंकन किया है जिस पर वादी की सहमति है।

वादी के दावा एवं पेश दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है जिसका बाहमी विभाजन होकर तीनों खातेदारों का मौके पर अलग–अलग कब्जा काश्त है। उक्त कृषि भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है इसलिए वादी ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवा कर अलग खाता व लगान कायम करवाने हेतु यह दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादी सं. 2 व 3 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी सं. 2 व 3 भी अपने हिस्सों की कृषि भूमि का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहते हैं जिस वादी को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार समस्त पक्षकार कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाने में सहमत हैं। वादगण कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की होने से नियमानुसार वे उक्त भूमि के मौके पर अपने–अपने कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवा कर खाते व लगान अलग–अलग कायम करवाने के अधिकारी हैं। इस प्रकार दावा स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

निर्णय

अतः वादी द्वारा पेश दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. का उभय पक्षकारों की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नं. 2175/778, 2879/2743 तादादी क्रमशः 1.4290, 0.7588 कुल 2.1878 हैक्टेयर रोही चूरू में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के खातेदारी हिस्सों की कृषि भूमि का खाता विभाजन मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर करके खाते व लगान अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू डिक्री के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार कर मय नक्शा दो प्रतियों में पेश करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

प्रारम्भिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

अन्तरसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी सैनिक बस्ती, चूरू

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू
2. गिरधारी पुत्र पूर्णाराम जाति माली निवासी चूरू
3. नारायण पुत्र पूर्णाराम जाति माली निवासी चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 87 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री गोपीराम सिहाग एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री पवनसिंह शेखावत व श्री योगेश शर्मा एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी द्वारा पेश दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. का उभय पक्षकारों की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नं. 2175/778, 2879/2743 तादादी क्रमशः 1.4290, 0.7588 कुल 2.1878 हैक्टेयर रोही चूरू में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के खातेदारी हिस्सों की कृषि भूमि का खाता विभाजन मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर करके खाते व लगान अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू डिक्री के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार कर मय नक्शा दो प्रतियों में पेश करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24 माह सितम्बर सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाबता दिवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्रीमती अर्पिता सोनी आर0ए0एस0

अन्तरसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी सैनिक बस्ती, चूरू

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू
2. गिरधारी पुत्र पूर्णाराम जाति माली निवासी चूरू
3. नारायण पुत्र पूर्णाराम जाति माली निवासी चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 87 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री गोपीराम सिहाग एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री योगेश शर्मा व श्री पवनसिंह शेखावत एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नं. 2175/778, 2879/2743 तादादी कमशः 1.4290, 0.7588 कुल तादादी 2.1878 हैक्टेयर रोही चूरू में से वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाता व लगान अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय विवरण	ख.नं.	रकबा है.	लगान
1.	अन्तरसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी सैनिक बस्ती, चूरू खातेदार	2879/2743 मी.	0.2150	–
2.	गिरधारी पुत्र पूर्णाराम 6576/9864 हिस्सा, नारायण पुत्र गिरधारी 2879/9864 हिस्सा जाति माली निवासी चूरू खातेदार	2175/778 2879/2743 मी.	1.4290 0.5438	–
		किता–2	1.9728	–

तहसीलदार, चूरू को उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 25 माह नवम्बर सन् 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी,
चूरू